एक नज़र

अंबाला में दंपती के बुने जाल में फंसा कारोबारी, मुनाफा कमाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी

अंबाला शहर (एजेंसी) भारतीय रेलवे के ठेकों में मोटा मुनाफ कमाने का झांसा देकर दिल्ली की दंपती ने अंबाला के कारोबारी मोहित गुप्ता को एक करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर दी। यही नहीं जब कारोबारी को दंपती की चाल समझ में आई तो दोनों ने झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने की बात कही। इसपर कारोबारी डर गया, वहीं आरोपितों से पैसा कैसे निकले इसको लेकर कारोबारी सदमे में है। वहीं अब परेशान होने के बाद सेक्टर-9 थाना पुलिस का दरवाजा खटखटाया है।

पुलिस ने पीड़ित कारोबारी मोहित गुप्ता की शिकायत पर दिल्ली की दंपती सतीश गुप्ता व उसकी पत्नी शिखा गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी, जान से मारने व झूठे केस में फंसाने का मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश आरंभ कर दी है। अंबाला शहर के सेक्टर-10 निवासी एवं सनशाइन व जे के एग्जिम व गुप्ता स्टील नाम की कंपनी चलाने वाले मोहित गुप्ता के मुताबिक उनकी कंपनी सरकारी ठेके लेती है। साल 2017 में उनके भाई अनीश गुप्ता को दिल्ली इस्कान टेंपल में सतीश गुप्ता नाम का व्यक्ति मिला। तब सतीश ने बताया कि वह दिल्ली का ही रहने वाला है और रेलवे के ठेके लेकर रेलवे में सप्लाई करता है उसकी कंपनी का नाम गिरिवर ग्लोबल सलूशन एंड सर्विसिस है। सतीश गुप्ता ने कहा उसके पास भारतीय रेल के काफी बड़े-बड़े आर्डर है। सतीश गुप्ता ने कहा तुम दोनों भाई मिलकर यदि उसकी गिरिवर ग्लोबल कंपनी में पैसा लगाए तो भारतीय रेलवे के ठेकों से काफी मनाफा कमाया जा सकता है जिसमें आपस में हिस्सेदारी डाल सकते हैं।

इसपर अनीश गुप्ता ने सतीश गुप्ता से कहा वह नौकरी करता है, जबकि उसका भाई मोहित गुप्ता व पिता इसमें पैसा लगा सकते हैं जोकि अंबाला रहते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं। अगर आप उनसे मिलकर बात करें। अनीश गुप्ता के कहने के बाद सतीश गुप्ता अपनी पत्नी शिखा गुप्ता के साथ सनशाइन व जेके एग्जिम व गुप्ता स्टील नाम की कंपनी के मालिक मोहित गुप्ता व उनके पिता सुरेंद्र गुप्ता से आकर मिले। यहां दंपती ने सभी को अपनी मिट्ठी बातों में उलझा यकीन दिलाया कि अगर वे सब उनकी कंपनी में हिस्सेदारी करेंगे तो काफी मुनाफा काम सकते हैं। इस तरह वे सब दंपती की बातों में आ गए और हिस्सेदारी डालने के लिए राजी हो गये। इस पर आरोपितों ने मोहित गुप्ता को कंपनी में पार्टनर बना दिया। वहीं सनशाइन व जे के एग्जिम व गुप्ता स्टील नाम की कंपनी के मालिक मोहित गुप्ता के मुताबिक इस तरह दंपती ने उनसे हिस्सेदारी के नाम पर उनसे पैसा लेते रहे। इस तरह से दंपती ने कारोबारी मोहित गुप्ता के साथ एक करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर दी।

कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जुड़ा नया चेहरा, आंसर की रोहतक के शख्स ने करवाई थी उपलब्ध

करनाल (एजेंसी) सिपाही भर्ती परीक्षा आंसर की मामले में अब एक और नया नाम जुड़ गया है। तीन दिन के रिमांड पर लिए गए रोहतक वासी सोनू ने गांव इस्माइला जिला रोहतक वासी अंकित के नाम का रहस्योद्घाटन किया है। उसने बताया है कि आंसर की उसे अंकित ने ही उपलब्ध कराई थी। इसी के साथ पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचने की गरज से और तेजी के साथ छापेमारी में जुट गई है। सोनू ने पुलिस को बताया कि अंकित से उसकी पहचान उस समय हुई थी जब वह रोहतक में कोचिंग सेंटर चलाता था। अंकित उसके सेंटर पर आता था।

किन्हीं कारणों के चलते कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया, लेकिन अंकित से उसकी पहचान ज्यों की त्यों है। हालांकि अभी सोनू ने उससे आंसर की के बदले क्या डील की, यह अभी रहस्योद्घाटन नहीं हुआ। लेकिन नाम सामने आते ही पुलिस के रडार पर अब अंकित भी आ गया है। उसे काबू करने के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। सोनू को तीन दिन का रिमांड खत्म होने पर मंगलवार को फिर अदालत में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे पहले वह अंकित के साथ हुई डील का भी राज खोल देगा। ऐसे में, पुलिस सोनू के रहस्योद्घाटन से संतुष्ट हुई तो उसे अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। बता दें कि पुलिस ने सोनू के अलावा उसके साथी रोहतक के ही गांव गद्दीखेड़ी वासी उन्नत को भी गिरफ्तार किया था। उन्नत को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था जबकि सोनू को तीन दिन के रिमांड पर लिया गया था।

इंद्री रोड पर गांव दरड़ के समीप ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल में बनाए गए परीक्षा केंद्र पर पकड़े गए रोहतक के गांव टिटौली वासी अजय ने उसी के गांव वासी अभिमन्यु से सात लाख रुपये में आंसर की खरीदी थी। अभिमन्यु ने आंसर की गांव गद्दी खेड़ी जिला रोहतक वासी सचिन से 14 लाख रुपये में खरीदी थी जबकि सचिन ने आंसर की का सौदा मूल रूप से पेंटावास चरखी दादरी के सोनू से किया था, जो फिलहाल रोहतक में रह रहा था। सोनू पहले रोहतक में ही कोचिंग सेंटर चलाता था। गिरफ्तारी के बाद अभिमन्यु ने पुलिस पूछताछ में यह रहस्योद्घाटन किया था। इसके बाद पुलिस ने सचिन को भी गिरफ्तार कर लिया था। आंसर की मामले की सबसे पहली कड़ी के तौर पर सोनू का नाम मुख्य रूप से सामने आया था।

परीक्षा में धांधली के दूसरे मामले में मुख्य आरोपित प्रवेश का आज तक भी पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि उसकी तलाश में पुलिस छापेमारी करती रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। गांव महमदपुर माजरा जिला झज्जर वासी प्रवेश रोहतक के एक थाने में सिपाही के तौर पर तैनात रहा है तो वहीं उसके पिता भी रोहतक में ही पुलिस अधिकारी हैं। पत्नी भी एक सरकारी विभाग में कार्यरत है। आंसर की मामले में जांच अधिकारी एसआई सुखपाल सिंह का कहना है कि नाम सामने आने के बाद अंकित को काबू करने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। जल्द ही वह पुलिस के शिकंजे में होगा। उससे पूछताछ के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

कोल्ड ड्रिंक के 30 रुपयों की खातिर हत्या, कैथल में दर्जी ने चाय वाले को घोंप दी कैंची

कैथल (एजेंसी) कोल्ड ड्रिंक के पैसों को लेकर दर्जी व चाय के दुकानदार के बीच हुए विवाद में दर्जी ने दुकानदार के पेट में कैंची मारकर हत्या कर दी। चाय के दुकानदार की मंगलवार को मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर चाय दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज किया है। मृतक के भाई रमन कुमार ने बताया कि उसके भाई रितेश की तलाई बाजार स्थित दयानंद मार्केट में चाय की दुकान है। यहां पर शक्ति नगर निवासी राजू भी दर्जी की दुकान चलाता है। शनिवार को दर्जी राजू ने रितेश से रात को दुकान बंद करने से पहले रात करीब साढ़े आठ बजे कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी।

वह कोल्ड ड्रिंक दे आया था। जब वह कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने गया तो पैसों को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दर्जी राजू ने 36 वर्षीय रितेश को कैंची मार दी। कैंची मारने की घटना के बाद वह, रितेश का दोस्त मोहित व भाई महेंद्र कुमार उसे अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल में डाक्टरों ने उसकी पट्टी करने के बाद घर वापस भेज दिया। सोमवार तक तो रितेश ठीक रहा, लेकिन मंगलवार सुबह के समय उसकी हालत अधिक बिगड़ गई। जिसके बाद स्वजन उसे अस्पताल में लेकर गए थे, लेकिन बाद में करीब नौ बजे रितेश उर्फ छोटू की मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलने पर सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार जिला नागरिक अस्पताल में पहुंचे।

जिसके बाद पुलिस ने स्वजनों के बयान के बाद दर्जी राजू पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। अभी आरोपित पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रितेश के जीजा रमन कुमार ने बताया कि घटना के दिन उसके भाई रितेश की पत्नी घर पर नहीं थी। वह अपने मायके में गई हुई थी। रमन ने बताया कि रितेश का एक लड़का है। जिसकी आयु महज पांच वर्ष की है। घटना के दिन रितेश घर में अकेला ही था। रितेश का बड़ा भाई जतिन दिल्ली में ही रहता है। सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने रविवार को मामले में धारा 307 के तहत केस दर्ज किया था। अब पीड़ित की मौत होने पर हत्या की धारा जोड़ते हुए केस दर्ज कर लिया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

हरियाणा व पंजाब के सीएम आमने-सामने,ताबड़तोड़ आठ ट्वीट कर मनोहर ने कैप्टन से पूछा- किसान विरोधी कौन?

किसानों के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्वीट वार शुरू हो गया है। दोनों मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं। हरियाणा के सीएम मनोहरलाल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के ट्वीट के जवाब में ताबड़तोड़ आठ ट्वीट किए और उनसे पूछा कि किसान विरोधी कौन है?

चंडीगढ़ (एजेंसी)
किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने-सामने हैं व उनके बीच ट्वीट वार छिड़ गया है। हरियाणा में चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के बीच तीखा वाद-विवाद हुआ है। कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट कर हरियाणा के सीएम पर हमला किया मनोहरलाल ने एक के बाद एक आठ ट्वीट कर कैप्टन अमरिंदर पर सवाल उठाया दिया। मनोहर लाल ने हरियाणा में चल रही किसान हित की योजनाओं का सिलसिलेवार जिक्र करते हुए कैप्टन से पूछा कि अब बताएं कि किसान विरोधी कौन है? कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर ने किसान संगठनों के आंदोलन के बीच मनोहर लाल से इस्तीफा मांगा था, जिसके बाद मनोहर लाल ने सोमवार को किसान संगठनों के आंदोलन के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इस आंदोलन के पीछे कैप्टन अमरिंदर का हाथ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आरोप लगाने के बाद कैप्टन अमरिंदर ने शाम को पलटवार किया।

कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान को उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया। कैप्टन ने कहा कि हरियाणा के सीएम की टिप्पणी ने उनकी सरकार के किसान विरोधी एजेंडे को उजागर कर दिया है। कैप्टन ने हरियाणा सरकार को याद दिलाया कि करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के नहीं। कैप्टन अमरिंदर की यह टिप्पणी आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक के बाद एक आठ ट्वीट करते हुए पंजाब सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। मनोहर लाल ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि हरियाणा गेहूं, धान, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, कपास और सूरजमुखी समेत 10 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। फसलों की कीमत सीधे किसानों के खाते में जाती है।

पंजाब सरकार बताए कि वह अपने राज्य में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदती है? मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि हरियाणा में किसानोंक को धान की खेती छोड़ने वाले हर किसान को 7000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इन्टेंसिव दिया जाता है। पंजाब में ऐसा करने वाले किसानों को क्या इन्टेंसिव मिलता है? मनोहरलाल ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा है कि यदि किसानों की पेमेंट 72 घंटे से लेट हो जाए तो राज्य सरकार किसान को 12 प्रतिशत की दर से ब्याज देती है।

क्या पंजाब अपने किसानों को यह ब्याज देता है? चौथे ट्वीट में पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए मनोहरलाल ने कहा है कि हरियाणा में धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ दिए जाते हैं, क्या पंजाब सरकार ऐसा करती है? मनोहर लाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने इसके बाद अपने पांचवें ट्वीट में कहा कि धान की पराली के निस्तारण के लिए एक हजार रुपये प्रति एकड़ देता है। क्या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने किसानों को ऐसा कोई लाभ देते हैं? अगले ट्वीट में मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पिछले सात सालों से अपने राज्य के किसानों को देश में सबसे अधिक गन्ने का भाव दे रहा है। पंजाब ने आंदोलन के चलते अब हरियाणा की तर्ज पर यह राशि बढ़ाई है, क्यों। आखिरी ट्वीट में मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर से पूछा कि अब आप बताएं कि किसान विरोधी कौन हुआ? हरियाणा या पंजाब।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हरियाणा सरकार अपने किसानों को बागवानी की फसलों के प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देती है। राज्य में भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों के नुकसान की भरपाई की जाती है। क्या पंजाब सरकार में ऐसी कोई योजना है? हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को अपनाने वाले किसानों को उपकरणों की खरीद पर 85 फीसद तक सब्सिडी देता हैं? तो क्या पंजाब के किसानों के लिए ऐसी कोई योजना है?

जन्माष्टमी पर पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, तरनतारन में दो हैंड ग्रेनेड के साथ युवक दबोचा

तरनतारन में पुलिस ने बाइक सवार युवक को दो हैंड ग्रेनेड समेत काबू किया हैं। जन्माष्टमी मौके पर यह आरोपित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक पर था। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ शुरू कर दी गई है।

तरनतारन (एजेंसी)
पंजाब पुलिस ने जन्माष्टमी पर प्रदेश को दहलाने की आर्तकियों की एक और साजिश नाकाम कर दी है। तरनतारन में सोमवार रात को गांव कक्का कंडियाला के पास पुलिस ने बाइक सवार को दो हैंड ग्रेनेड समेत काबू किया हैं।

जन्माष्टमी मौके पर यह आरोपित किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की ताक पर था। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ शुरू कर दी गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मौके पुलिस की ओर से जिले भर में चौकसी बढ़ा दी गई थी। एसएचओ सिटी इंस्पेक्टर जसवंत सिंह भट्टी गांव कका कंडीयाला के पास गश्त कर रहे थे कि सप्लेंडर मोटर साइकिल पर संदिग्ध हालात में घूम रहे आरोपित को काबू करके तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से दो हैंड ग्रेनेड, एक आधार कार्ड, एक मोबाइल रेडमी कंपनी डबल सिम, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। जिसके आधार पर उसकी पहचान सरुप सिंह निवासी गांव जौहल ढाए वाला थाना गोइंदवाल साहिब के तौर पर हुई है। बताया जाता है की श्री कृष्ण जन्माष्टमी मौके यह आरोपित किसी वारदात को अंजाम देने की ताक पर था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

दो हथगोलों के साथ पुलिस की और से काबू किए आरोपित सरूप सिंह से प्रथम पूछताछ के दौरान जिला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापामारी शुरू कर दी है 7 बताया जाता है की ऐसे और भी हथगोले क्षेत्र में छिपाए गए हैं। उन्हें बरामद करने लिए पुलिस ने छापामारी अभियान चलाया है। आरोपित सरूप सिंह के तार आतंकवादी संगठन के साथ हाल ही में जुड़े थे। खुफिया सूत्रों की माने तो सीमा पर से ड्रोन के माध्यम से बड़ी तादाद में हथियारों की खेप तरनतारन पहुंची है। सरूप सिंह को बाद दोपहर को कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाना है।

इसके बाद पुलिस इस मामले में कोई खुलासा करेगी। थाना गोइंदवाल साहिब के गांव जौहल ढाए वाला निवासी सरूप सिंह ट्रक चालक है और अधिकतर मुंबई, कोलकाता में रहता था। उसके पिता गुरदेव सिंह भी ट्रक चलाते थे। उनकी करीब 13 साल पहले मौत हो चुकी है 7 सरूप सिंह ट्रक से 4 दिन पहले ही गांव लौटा था। सोमवार की शाम को वह आखिरी बार गांव में देखा गया था 7 डीएसपी सुच्चा सिंह बल्ल ने कहा कि अभी मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद सारी जानकारी दी जाएगी।

पंजाब कांग्रेस का घमासन सुलझाने आज चंडीगढ़ आएंगे हरीश रावत, कैप्टन और सिद्धू संग करेंगे बैठक

चंडीगढ़ (एजेंसी)
पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के समाधान के बीच पार्टी के प्रभारी हरीश रावत आज चंडीगढ़ आएंगे। रावत पंजाब के चार मंत्रियों और करीब दो दर्जन विधायकों द्वारा सीएम कैप्टन अमरिंदर का विरोध करने से पैदा हालात पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वह प्रमुख रूप से सीएम कैप्टन अमरिंदर और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वह दोनों नेताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि रावत पिछले दिनों सिद्धू के ईट से ईट बजाने वाले बयान पर भी उनसे जवाब मांगेंगे। बता दें कि पिछले दिनों पंजाब के चार कैबिनेट मंत्रियों तृप्त राजिंदर बाजवा, सुखजिंदर सिंह रंधावा , सुखबिंदर सिंह सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब दो दर्जन विधायकों के साथ बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत कर दी थी।

उन्होंने कैप्टन अमरिंदर में विश्वास नहीं होने की बात करते हुए सीएम को बदलने की मांग तक कर दी थी। ये मंत्री हरीश रावत से मिलने देहरादून गए थे। इसके बाद तीन बागी मंत्री व कुछ विधायक राहुल गांधी व कांग्रेस की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली गए थे, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया और वे निराश होकर चंडीगढ़ वापस आ गए।

पूरे मामले पर हरीश रावत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विस्तृत रिपोर्ट दी और पंजाब कांग्रेस में स्थिति के बारे में जानकारी दी। माना जा रहा है कि आलाकमान द्वारा रावत को चंडीगढ़ जाकर मामले का समाधान करने का आलाकमान ने निर्देश दिया। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस आलाकमान को कथित रूप से ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने का वीडियो सामने आया। इससे कांग्रेस में हड़कंप मच गया। हरीश रावत ने भी सिद्धू के इस बयान पर सवाल उठाया और कहा कि वह प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको निर्णय लेने से कौन रोक सकता है। अमृतसर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वह अपने ईट से ईंट बजाने वाले बयान पर कायम हैं। बता दें कि पिछले दिनों उद्योगपतियों की बैठक में सिद्धू ने कहा था कि अगर उन्हें निर्णय लेने नहीं दिए गए तो वह ईट से ईट बजा देंगे। सोमवार को राम मंदिर के गेट के निर्माण का शुभारंभ करने पहुंचे सिद्धू से जब सिद्धू से इस बाबत पूछा गया तो पहले तो कन्नी काटते दिखे, फिर उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं।

जब उनसे पूछा गया कि ईट से ईट बजाने का बयान किसके संदर्भ में है तो इस पर वह कुछ नहीं बोले। सिर्फ यह कह गए कि मैंने जो कहना था, वह फेसबुक पर डाला हुआ है। जब उनसे यह पूछने का प्रयास किया कि शिअद विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया की ओर से उन पर तीखे तंज कसे जा रहे हैं, इस पर वह मुस्कुराने लगे।

हिसार में खून से सनी रेल की पटरी, दो चचेरे भाइयों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

हिसार (एजेंसी)
हिसार में बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। शहर की महाबीर कालोनी के पास ट्रेन की चपेट में आए चार युवकों में दो की मौत के मामले में दो मृतकों का मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। गौरतलब है कि सोमवार रात इंद्रा नगर निवासी दो चचेरे भाइयों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और दोनों के शव को कब्जे में लेकर शहर के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाई थी।

Carrier

कैरियर एयरकंडीशिनिंग एवं रेफ्रिजरेशन लि.

सीआईएनः U74999HR1992FLC036104
पंजीकृत कार्यालयः नरसिंहपुर, खेरकी धौला पोस्ट, गुड़गाँव 122 001, हरियाणा
फोनः +91-124-4825500; फैक्सः +91-124-2372230
वेबसाइटः www.carrierindia.com, ईमेलः secretarial@carrier.com

29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की जानकारी तथा पुस्तकें बंद होने की सूचना

प्रिय सदस्यों,

कैरियर एयरकंडीशिनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड ("कम्पनी") की 29वीं (उन्तीसवीं) वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए वर्णित व्यापार का लेन-देन करने के लिए निगमित मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं0 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 सामान्य परिपत्र सं0 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 तथा सामान्य परिपत्र सं0 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020 सामान्य परिपत्र 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 तथा अन्य लागू परिपत्रों के अंतर्गत बनाए गए नियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से गुरूवार 23 सितम्बर, 2021 को मध्याहन 2:30 बजे भारतीय मानक समय पर आयोजित की जायेगी। सदस्य 29वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने में सक्षम होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण के साथ एजीएम की सूचना बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज 31 अगस्त 2021 को कम्पनी के सदस्यों को भेज दिया गया जिनके (ईमेल पते कम्पनी/डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (वीपी) के पास पजीकृत है। उक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट www.carrier.com/building-solutions/en/in/ investor/ तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

29वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के लिए निर्देशः

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से 29वीं एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावों पर मत देने के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही हैं। सदस्य नीचे दी गई तिथियों पर केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का उपयोग करके अपने मत को दूर से डाल सकते हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान की सुविधा भी 29वीं एजीएम ("ई-वोटिंग) और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिग द्वारा अपना मत 29वीं एजीएम में नहीं डाला है। कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड की सेवाओं को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में शामिल किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के माध्यम से सदस्यों को भेजे गए है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए वहीं लॉग इन क्रेडेशियल का उपयोग करें। डिमैटलाइज्ड मोड, भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें 29वीं एजीएम के दौरान रिमोट-वोटिंग और ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में प्रदान किया है और यह कम्पनी की वेबसाइट www.carrier.com/building-solutions/en/in/investor/ पर भी उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी।

रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआतः सोमवार, 20 सितम्बर, 2021 को प्रातः 9:00 बजे।

रिमोट ई-वोटिंग की समाप्तिः बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 को शाम 5:00 बजे।

रिमोट ई-वोटिंग की उक्त तिथि और समय के उपरांत अनुमति नहीं दी जायेगी और रिमोट ई-वोटिंग माड्यूल को सीडीएसएल द्वारा उक्त तिथि की अवधि की समाप्ति के बाद अक्षम कर दिया जायेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम कट-ऑफ तिथि, गुरूवार, 16 सितम्बर, 2021 की तिथि तक डिपोजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में या रजिस्टर ऑफ मेम्बर्स में दर्ज किया गया है, केवल वे ही 29वी एजीएम में ई-वोटिंग और भागीदारी या रिमोट-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए हकदार होगें। कंपनी के शेयर हस्तांतरण किताबें और सदस्यों के रजिस्टर शुक्रवार 17 सितम्बर, 2021 से गुरूवार, 23 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

ई-मेल पतों को पंजीकृत/अद्यतन करने का तरीका निम्नानुसार है :

भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी या अथवा कंपनी के ट्रॉंसफर एजेंट के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराए हैं। वे बीसी ओएवीएम के माध्यम से 29वी एजीएम में शामिल होने के लिए तय 29वी एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, और/अथवा लॉग-इन विवरण प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते पंजीकृत/आद्यतन करा सकते हैं, एक हस्ताक्षित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजना होगा जिसमें उनका नाम फोलियों सख्या और पता, पैन कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित कॉपी तथा पते का प्रूफ (जैसे कि आधार कार्ड ड्रॉविंग लाइसेंस, इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट) हो, उसे कंपनी को अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट को ई-मेल secretarial@carrier.com पर दे। सदस्य जिन्होंने शेयर डिमैटिरियलाइज्ड मोड में रखे हैं और अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास उनसे अनुरोध है, कि अपने ई-मेल admin@mcsregistrars.com पते डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत/अद्यतन कराएं।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट- ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों को धारण करता है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसे सदस्य एजीएम की सूचना में कम्पनी द्वारा ई-वोटिंग निर्दिष्ट तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग माध्यम से अपना वोट कर दिया है वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं पर एजीएम के दौरान फिर से वोट डालने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। एक बार सदस्य द्वारा वोट डाले जाने के बाद उसी के बाद में बदलने या फिर से डाले जाने की अनुमति नहीं होगी। एजीएम, ई-वोटिंग में भाग लेने के बारे में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में आप उसपर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यूएस") और ई-वोटिंग मैनुअल www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत या श्री अजय दलाल वरिष्ट प्रबंध, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लिमिटेड, एफ-65, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1, नई दिल्ली -110020 ईमेलः admin@mcsregistrars.com (011-41406149 से 52) या | secretarial@carrier.com को लिख सकते हैं, अथवा सम्पर्क करें श्री नितिन कुमार (022-2308783) या श्री महबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) से संपर्क करें ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com.

हस्ता./-
सूरज अरोड़ा
कम्पनी सचिव
एफसीएसः 10752

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 31 अगस्त 2021

एल्पस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010
CIN : L51109UP1972PLC003544 वेबसाइटः www.alpsindustries.com,
ईमेल आईडीः ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120-4161700/4161716

ई वोटिंग सुविधाओं के लिये प्रेषण समापन सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि एल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटिड (CIN : L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की उनन्चासवीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) **गुरुवार, 30 सितम्बर, 2021 को सायं 3.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से** कम्पनी के पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक की सूचना, जो कंपनी के पात्र सदस्यों को पहले ही भेज दिया गया है, में दिये गये साधारण एवं विशेष व्यापार सम्पादित किया जाएगा। उसी बैठक के लिये विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में उपलब्ध है। कंपनी के सदस्यों ने गुरुवार, 23 सितंबर 2021 तक जो कि कट-ऑफ की तारीख है, भौतिक या विमुद्रीकृत रूप से शेयरों की होल्डिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के उप नियम 4 के खंड (V) के तहत आवश्यक जानकारी इस प्रकार है:

(क)	**कथन कि व्यापार इलैक्ट्रानिक माध्यम से सम्पादित किया जा सकता है:** 49वीं एजीएम की सूचना में उद्धृत आम तथा विशेष व्यापार के लिये प्रस्ताव सं.1 से 3 पर ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से सूचना में दिये गये निर्देशों से सम्पादित किया जाएगा, क्योंक